न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 331 / 2018

प्रार्थीगण

1. सोहनलाल पुत्र जोगाराम
2. हिम्मताराम पुत्र शेषाराम
3. सिजाई पत्नि कुनाराम
4. आसाराम पुत्र कुनाराम
5. जीवनराम पुत्र कुनाराम
6. गौतम पुत्र कुनाराम
   प्रार्थी सं0 4, 5 व 6 ना0बा0 की वलिया माता सिजाई।
7. शोभा देवी पुत्री कुनाराम जातियान मेगवंशी निवासीगण–बासना तहसील–सोजत जिला–पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी

1. सरकार जरिए तहसीलदार सोजत लैण्ड होल्डर, जिला–पाली (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09.10.2018

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बासना पटवार हल्का बासना तहसील सोजत मे अपनी जोत में पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 51 की जोत मे नया मार्ग खातेदारी खसरा नम्बर 57 मे जाने हेतु आवेदन किया है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 57 रकबा 0.5100 हैक्टर की भूमि में आवागमन अर्थात आने जाने हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 9.6000 हैक्टर गै0मु0 मगरा भूमि में पाने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी की अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्तामय प्रार्थीगण ने सरहद मौजा बासना पटवार हल्का बासना की खसरा नम्बर 51 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खसराजात भूमि खसरा नम्बर 57 की खातेदारी भूमि तक दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने हेतू ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिस वास्ते जवाब प्रा0पत्र तलब किया गया।

तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रा0पत्र पत्रांक/राज/1501 दिनांक 05.10.2018 मे उक्त अनवान प्रकरण मे जारी नोटिस के कम में निवेदन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक अटपड़ा से जांच करवायी गई। भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि ग्राम बासना के राजकीय सिवाय चक की भूमि खसरा संख्या 51 में से प्रार्थी सोहनलाल पुत्र जोगाराम वगैरह कौम मेघवंशी की खातेदारी के खसरा संख्या 57 में आने जाने अर्थात आवागमन हेतु उक्त सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 51 रकबा 9.6000 गै0मु0 मगरा में से आने जाने हेतु उपभोग/उपयोग करते है। प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

के प्रार्थना पत्र पर अनुरूप भू अभिलेख निरीक्षक अटपड़ा द्वारा मौका देख नजरी नक्शा एवं रिपोर्ट प्रस्तुत कर खसरा संख्या 51 मे से रास्ते हेतु मौका रिपोर्टानुसार किये गये माप लम्बाई 52.25 मीटर X चौड़ाई 9.20 मीटर = 0.0480 हैक्टर की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 2214 रूपये प्रति एयर से प्रतिकर देय राशि तथा उक्त माप एवं नजरी नक्शा अनुसार भूमि प्रार्थीगण को दिलवाये जाने/उपलब्ध करवाये जाने की अनुशंषा की है। तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा0पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट फर्द भू0अ0 निरीक्षक अटबड़ा मय नजरी नक्शा अनुसार भी मौजा–बासना पटवार हल्का–बासना भू0अ0निरीक्षक वृत–अटबड़ा तहसील–सोजत मे स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि का ख0नं0 51 रकबा 9.60 हैक्टर किस्म गै0मु0 मगरा में से ख0नं0 57 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने अर्थात आवागमन हेतु रास्ता मौके पर लम्बाई 52.25 मीटर X चौड़ाई 9.20 मीटर = 0.0480 हैक्टर यानि 04.80 एयर रास्ता मौजूद है। सरहद मौजा ग्राम बासना के वर्तमान में नजरी नक्शा एवं डी0एल0सी0 दर एवं कृषि भूमि की दर 2214/– प्रति एयर से प्रतिकर राशि राज्य कोष में जमा करवाकर उक्त भूमि रास्ते हेतु दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस प्रा0पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा बासना तहसील सोजत में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 54, 55, 57 व 400 कुल किता 4 रकबा 1.9400 हैक्टर बा0अ0 है। उक्त कृषि भूमि में बोयल जाने के रास्ते से ख0नं0 9.6000 हैक्टर गै0मु0 मगरा की भूमि में से 30 फुट चौड़ा मौके पर अवस्थित लम्बाई 52.25 मीटर X चौड़ाई 9.20 मीटर = 0.0480 हैक्टर (04.80 एयर) भूमि अधिकतम डी0एल0सी0 दर 2214/– रूपये प्रति एयर से 04.80 X 2214/– X2 =21,254/00 Rs/- राज्य मद में प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण सहमत/तत्पर है। जिससे रास्ते हेतु 04.80 एयर भूमि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाये जाने की ईस्तदुआ की है। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने प्रा0पत्र स्वीकार कर रास्ते की उक्तानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने पर दिये जाने हेतु कोई आपत्ति व्यक्त नही करके स्वीकारोक्ति/सहमति देते हुए अभिशंषा जवाब बहस में व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955, जवाब प्रा0पत्र अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत मय मौका रिपोर्टमय नजरी नक्शा तथा डी0एल0सी0 की वर्तमान अधिकतम दर की सूचना एवं अभिशंषा रिपोर्टादि का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जहां कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि :–" (i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध तथा प्रार्थित भूमि का सुविधाजनक उपयोग/उपभोग हेतु किया जाना सिद्ध नहीं होता है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा माफिक मौका रिपोर्ट मय नजरीनक्शा ख0नं0 57 की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुँच हेतु राजकीय ख0नं0 51 गै0मु0 मगरा की भूमि में से 04.80 एयर भूमि 2214/- रूपये अधिकतम डी0एल0सी0 दर की प्रतिकर राशि राज्य मद में जमा करवाई जाकर मूल चालान पेश करने पर रास्ते के रूप में दिये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके मौजा वासना तहसील सोजत में स्थित ख0नं0 57 में आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 51 रकबा 9.6000 हैक्टर गै0मु0मगरा की भूमि में से रास्ता हेतु 30 फुट चौड़ा मौके पर अनस्थित लम्बाई 52.25 मीटर X चौडाई 9.20 मीटर = 0.0480 हैक्टर (04.80 एयर) भूमि अधिकतम डी0एल0सी0 दर 2214/- रूपये प्रति एयर से 04.80 X 2214/- X 2 =21,254 /- रूपये (अक्षरे इक्कीस हजार दो सौ चौपन रूपये मात्र) राज्य मद में प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण सहमत/तत्पर है। जिससे रास्ते हेतु 04.80 एयर भूमि प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित राज्य मद में उक्त राशि जमा करवाकर मूल चालान पेश करने पर उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद/राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग/उपभोग में ली जायेगी। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय, मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की छाया प्रति भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner